राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
कार्यालय श्रम आयुक्त, श्रम भवन, शांति नगर, हरिपुरा, जयपुर।

क्रमांकः– F8(1)Enforcement/IR/Labour/2026/02760 जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (रोजगार के विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1996 की धारा–7 सपठित राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार नियम, 2009 के नियम 17 एवं 18 के तहत प्रत्येक नियोजक को 60 दिवस की अवधि में अपने संस्थान का पंजीयन कराना आवश्यक है और नियोजक द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने पर अधिनियम, 1996 की धारा 50 के तहत दण्डात्मक प्रावधान है।

यह देखने में आया है कि प्रदेश में जिस संख्या में स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा निर्माण कार्य हुये है अथवा चल रहे हैं, की तुलना में धारा–7 के तहत संस्थानों का पंजीयन नहीं हुआ है और इस तथ्य को महालेखाकार अंकेक्षण दल तथा लेखा समिति ने बड़ी गंम्भीरता से लिया है।

समीक्षा उपरांत यह महसूस किया गया है कि श्रम निरीक्षक उक्त अधिनियम में समुचित रूप से निरीक्षण नहीं कर रहे है जिसके कारण संस्थानों के पंजीयन की संख्या नगण्य है। अतः आपको यह निर्देश दिये जाते है कि शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम, 1996 के तहत अधिकाधिक निरीक्षण करें तथा RERA में पंजीकृत संस्थानों सहित 10 अथवा उससे अधिक नियोजित श्रमिकों वाले भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार संस्थानों का अधिक से अधिक पंजीयन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्थानों का पंजीयन नहीं करवाने वाले नियोजकों के विरूद्ध धारा–50 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

इस संबंध में पाक्षिक रूप से प्रगति रिपोर्ट विभाग की मेल आईडी lab-comm-rj@nic.in पर नियमित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– F8(1)Enforcement/IR/Labour/2026/02760 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स व ईएसआई विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मुख्यालय), राजस्थान जयपुर।

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.06.09 19:05:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22695072
M e-Sign